NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 03-11-2026

विषय सूची

भूटान के 108 चोर्टेन में प्रतिष्ठित होंगे भारत में प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष

अंतरराष्ट्रीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस

VB-G RAM G अधिनियम के अंतर्गत नई शिकायत निवारण व्यवस्था

आईपीओ का ग्रे मार्केट

संक्षिप्त समाचार

- सरकार का पूँजीगत व्यय में वृद्धि पर बल
- वधावन बंदरगाह
- डीपफेक की पहचान के लिए नई तकनीक
- हरित पटाखे

भूटान के 108 चोर्टेन में प्रतिष्ठित होंगे भारत में प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष

संदर्भ

- भारत में प्राप्त बौद्ध अवशेषों को परियोजना 108 के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे 108 जांगचुब चोर्टेन (ज्ञानोदय के स्तूपों) में प्रतिष्ठित किया जाएगा।

ज़ुंग और जांगचुब चोर्टेन के बारे में

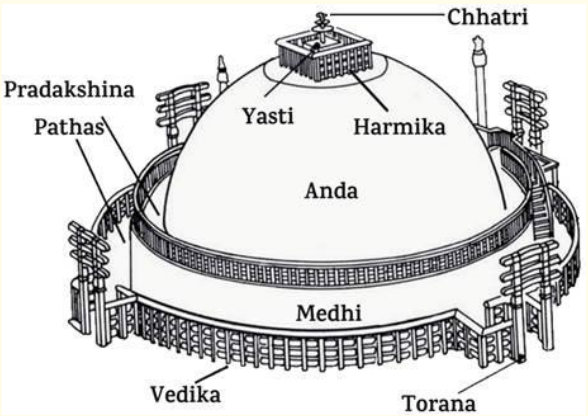
- ये अवशेष 'ज़ुंग' का हिस्सा हैं, जो बुद्ध के प्रबुद्ध शरीर, वाणी और मन का सजीव स्वरूप माना जाता है।
 - ज़ुंग के पवित्र घटकों में थांगका (कपास या रेशम के कपड़े पर निर्मित पारंपरिक तिब्बती बौद्ध चित्रकारी), मूर्तियाँ, बहुमूल्य पत्थर, मंत्रों से युक्त लपेटे हुए पत्र (स्क्रॉल) अथवा धारणी तथा प्रबुद्ध महापुरुषों के पवित्र अवशेष शामिल होते हैं।
- चोर्टेन तिब्बती और भूटानी भाषा में 'स्तूप' के लिए प्रयुक्त शब्द है। यह एक पवित्र बौद्ध स्मारक है, जिसमें पवित्र अवशेषों, धर्मग्रंथों अथवा अन्य अभिषिक्त वस्तुओं को प्रतिष्ठित किया जाता है।
 - जांगचुब चोर्टेन भगवान बुद्ध के ज्ञानोदय की घटना का स्मरण कराता है तथा अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है।
 - प्रतिष्ठा एवं अभिषेक के पश्चात् चोर्टेन को सजीव बुद्ध के समकक्ष माना जाता है।

परियोजना 108 क्या है?

- **स्थान:** भूटान के गेलेफू में माउ छू नदी के किनारे।
- **उद्देश्य:** प्रस्तावित गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (GMC) के लिए आध्यात्मिक आधार स्थापित करना। इसकी परिकल्पना एक ऐसे वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में की गई है, जहाँ आध्यात्मिकता, सतत विकास और आर्थिक विकास का समन्वय हो।
- **डिजाइन:** प्रत्येक चोर्टेन की ऊँचाई लगभग 15 मीटर होगी तथा दो क्रमिक चोर्टेन के बीच 108 मीटर की दूरी होगी।
- **108 का महत्त्व :** तिब्बती बौद्ध धर्म की कुछ परंपराओं में कांग्युर—प्रमुख पवित्र बौद्ध धर्मग्रंथों का संग्रह—108 खंडों में व्यवस्थित है।
 - वज्रयान बौद्ध परंपरा में 108 की संख्या आध्यात्मिक पूर्णता, ब्रह्मांडीय संतुलन और कर्मों के शुद्धीकरण का प्रतीक मानी जाती है।

बौद्ध स्तूपों के बारे में

- स्तूप एक बौद्ध स्थापत्य संरचना है, जिसका निर्माण भगवान बुद्ध अथवा अन्य प्रबुद्ध महापुरुषों के पवित्र अवशेषों को सुरक्षित रखने तथा बौद्ध धर्म की महत्त्वपूर्ण घटनाओं के स्मरण के लिए किया जाता है।
- **वास्तुशिल्पीय विशेषताएँ :** एक पारंपरिक स्तूप के पाँच प्रमुख घटक होते हैं:
 - **अंड (गुंबद):** अर्द्धगोलाकार संरचना, जो ब्रह्मांडीय अंडे तथा संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है।
 - **हर्मिका:** गुंबद के ऊपर स्थित वर्गाकार वेदिका या रेलिंगनुमा संरचना, जो देवताओं के निवास स्थान का प्रतीक है।
 - **यष्टि :** हर्मिका के ऊपर उठने वाला केंद्रीय स्तंभ, जो ब्रह्मांडीय धुरी का प्रतिनिधित्व करता है।
 - **छत्र :** स्तंभ पर स्थापित छतरीनुमा चक्र, जो आध्यात्मिक संप्रभुता और संरक्षण का प्रतीक है।
 - **मेधि :** गुंबद को सहारा देने वाला ऊँचा वृत्ताकार चबूतरा या मंच, जिसका उपयोग प्रायः श्रद्धालु स्तूप की परिक्रमा करने के लिए करते हैं।
- **धार्मिक महत्त्व :** स्तूप बुद्ध के प्रबुद्ध मन और उनकी शिक्षाओं का प्रतीक हैं। श्रद्धालु पारंपरिक रूप से इनके चारों ओर दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं, जो श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का एक माध्यम है।
- **विकास :** स्तूप वास्तुकला का विस्तार पूरे एशिया में हुआ और समय के साथ इसका विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों में विकास हुआ। इनमें तिब्बती चोर्टेन, श्रीलंकाई दागोबा और पूर्वी एशियाई पैगोडा शामिल हैं।



स्रोत: TH

अंतरराष्ट्रीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस

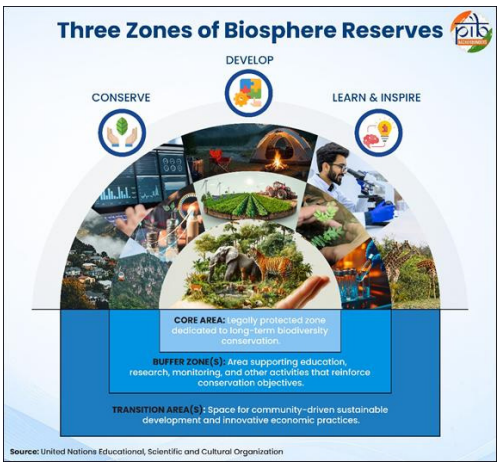
चर्चा में

- अंतरराष्ट्रीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को मनाया जाता है।

जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या हैं?

- ये ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सरकारों द्वारा जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चिह्नित किया जाता है।
- ये प्राकृतिक आवासों की रक्षा करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं तथा जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं।
- ये पृथ्वी के स्थलीय सतह के लगभग 5% हिस्से में फैले हुए हैं, फिर भी विश्व की स्थलीय कशेरुकी प्रजातियों की विविधता का 60% से अधिक हिस्सा इन क्षेत्रों में संरक्षित है।
- प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वर्ष 1976 में नामित किए गए थे। अंटार्कटिका को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप पर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं।
 - माटा अटलांटिका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह ब्राज़ील में स्थित है।
- विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क का मानचित्र 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2050 तक लगभग 40% जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को अधिक चरम जलवायु घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है तथा 50% से अधिक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय संरक्षण पदनाम वाले क्षेत्र के साथ अतिव्यापन करते हैं।

जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के क्षेत्र



- **मुख्य क्षेत्र :** मुख्य क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के लिए सर्वोच्च स्तर का संरक्षण प्रदान करता है।
 - यह आवासों, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता का संरक्षण करते हुए आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखता है।
 - यहाँ मानवीय गतिविधियाँ अत्यंत सीमित होती हैं। दीर्घकालिक संरक्षण के लिए अनुकूल अनुसंधान और निगरानी गतिविधियों की अनुमति दी जाती है।
- **बफर क्षेत्र:** बफर क्षेत्र मुख्य क्षेत्र को चारों ओर से घेरता है अथवा उससे सटा हुआ होता है।
 - इसमें संरक्षण के अनुकूल गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं, जिनमें पर्यावरणीय शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और विनियमित पारिस्थितिक पर्यटन शामिल हैं।
 - ये गतिविधियाँ पारिस्थितिक समझ को बेहतर बनाने के साथ-साथ कड़ाई से संरक्षित क्षेत्रों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में सहायता करती हैं।
- **संक्रमण क्षेत्र :** संक्रमण क्षेत्र में बस्तियों, आजीविका और सतत आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है।
 - यहाँ समुदाय उत्तरदायी कृषि, सतत वानिकी, पारिस्थितिक पर्यटन तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल अन्य गतिविधियाँ संचालित कर सकते हैं।
 - यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा देता है।

जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के कार्य

- **संरक्षण :** जैव विविधता, आनुवंशिक संसाधनों, पारिस्थितिकी तंत्रों और प्राकृतिक परिदृश्यों का संरक्षण करना। इसमें उनसे जुड़ी सांस्कृतिक विविधता भी शामिल है।
- **सतत आर्थिक विकास :** ऐसी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, जो पारिस्थितिक सीमाओं तथा स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करती हों।
- **वैज्ञानिक सहयोग :** संरक्षण संबंधी गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरणीय निगरानी, शिक्षा, प्रशिक्षण और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
- **वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति :** ये वैश्विक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देते हैं। इनमें कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा के अंतर्गत वर्ष 2030 तक पृथ्वी के महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों के बड़े हिस्से का संरक्षण और पुनर्स्थापन करने जैसे लक्ष्य शामिल हैं।

जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अन्य संरक्षित क्षेत्रों से किस प्रकार भिन्न हैं?

- राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों का प्राथमिक उद्देश्य भारत के वन्यजीव संरक्षण कानूनों के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा करना है।
- इसके विपरीत, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। ये संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्रों को आसपास के समुदायों से जोड़ते हैं। इस प्रकार, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र एक ऐसे मॉडल के रूप में कार्य करते हैं, जो दर्शाता है कि जैव विविधता और मानव कल्याण किस प्रकार एक साथ सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।

विभिन्न पहलें

- **यूनेस्को का मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम :** इसे वर्ष 1971 में प्रारंभ किया गया था।
 - यह मानव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को बढ़ावा देता है।
 - इसके अंतर्गत 145 देशों में 797 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल हैं।

भारत की स्थिति

- भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क देश के विविध पारिस्थितिकी तंत्रों और समृद्ध पारिस्थितिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है।
- देश में 18 अधिसूचित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 13 यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क (WNBR) में शामिल हैं।

S. No.	Biosphere Reserve	Year of Designation	Year of Inclusion in WNBR	State(s)
1	Nilgiri ★	1986	2000	Tamil Nadu, Kerala and Karnataka
2	Nanda Devi ★	1988	2004	Uttarakhand
3	Nokrek ★	1988	2009	Meghalaya
4	Gulf of Mannar ★	1989	2001	Tamil Nadu
5	Sundarbans ★	1989	2001	West Bengal
6	Manas	1989	—	Assam
7	Great Nicobar ★	1989	2013	Andaman and Nicobar Islands
8	Similipal ★	1994	2009	Odisha
9	Dibru-Saikhowa	1997	—	Assam
10	Dehang-Dibang	1998	—	Arunachal Pradesh
11	Pachmarhi	1999	2009	Madhya Pradesh
12	Khangchendzonga ★	2000	2018	Sikkim
13	Agasthyamalai ★	2001	2016	Kerala and Tamil Nadu
14	Achanakmar-Amarkantak ★	2005	2012	Madhya Pradesh and Chhattisgarh
15	Great Rann of Kutch	2008	—	Gujarat
16	Cold Desert ★	2009	2025	Himachal Pradesh
17	Seshachalam	2010	—	Andhra Pradesh
18	Panna ★	2011	2020	Madhya Pradesh

नोट: (*) का चिह्न उन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को दर्शाता है, जिन्हें यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क (WNBR) में शामिल किया गया है।

स्रोत : PIB

VB-G RAM G अधिनियम के अंतर्गत नई शिकायत निवारण व्यवस्था

संदर्भ

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए VB-G RAM G (शिकायत निवारण) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं।

शिकायत निवारण नियम, 2026 के प्रावधान

- कोई भी व्यक्ति योजना के क्रियान्वयन से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी विषय के संबंध में शिकायत दर्ज करा सकता है।
 - शिकायत या अभ्यावेदन मौखिक, लिखित अथवा डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

- **नियम 4(5) के अनुसार:** "प्रारूप, भाषा, प्रस्तुत करने के तरीके अथवा किसी प्रक्रियात्मक कमी के आधार पर किसी भी शिकायत के पंजीकरण से मना नहीं किया जाएगा।"

- इन नियमों के अंतर्गत जाँच पूरी करने के लिए सात कार्यदिवस निर्धारित किए गए हैं तथा शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उसका निवारण करना अनिवार्य है।
- **त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र :**
 - **ग्राम पंचायत स्तर:** शिकायतों का प्रारंभिक पंजीकरण और निपटारा।
 - **ब्लॉक स्तर:** शिकायतों की जाँच तथा अनसुलझी शिकायतों को उच्च स्तर पर भेजना।
 - **जिला स्तर:** उच्च स्तरीय निगरानी और शिकायतों का निवारण। इस प्रक्रिया की निगरानी जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा की जाएगी।

VB-G RAM G के बारे में

- इसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA) का स्थान लिया है।
 - यह परिवर्तन 'माँग-आधारित ढाँचे' से 'आपूर्ति-आधारित योजना' की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- **विस्तारित आजीविका गारंटी :** इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उन वयस्क सदस्यों के लिए होगी, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों।
- **केंद्र प्रायोजित योजना :** इस योजना का क्रियान्वयन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में किया जाएगा। इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तपोषण का अनुपात 90:10 तथा अन्य सभी राज्यों के लिए 60:40 होगा।
- **कृषि के व्यस्त मौसम में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना :** राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों की ऐसी अवधि पहले से अधिसूचित करने का अधिकार होगा, जिसमें बुवाई और कटाई के व्यस्त मौसम के दौरान अधिनियम के अंतर्गत कार्य नहीं कराए जाएँगे। इससे कृषि के महत्त्वपूर्ण समय में पर्याप्त कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।
- **राज्यों को मानक-आधारित आवंटन:** राज्य पंचायतों की श्रेणी और स्थानीय विकास संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिलों तथा ग्राम पंचायतों के बीच धनराशि का पारदर्शी एवं आवश्यकता-आधारित आंतरिक वितरण सुनिश्चित करेंगे।
- **बेरोजगारी भत्ता :** यदि पात्र आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकारें उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बाध्य होंगी।
- **VGPP आधारित नियोजन :** नियोजन की प्रक्रिया विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से की जाएगी। इन योजनाओं को ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किया जाएगा तथा राष्ट्रीय स्थानिक नियोजन प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- **संस्थागत निगरानी :** कानून के प्रावधानों की समीक्षा, निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद तथा राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदों का गठन किया जाएगा। ये परिषदें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करेंगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 ग्रामीण परिवारों को मजदूरी-आधारित रोजगार का कानूनी आश्वासन प्रदान करता है।
 - इसे वर्ष 2006 में लागू किया गया था तथा वर्ष 2009 में इसका नाम बदलकर MGNREGA कर दिया गया।
 - **मुख्य उद्देश्य:** ग्रामीण क्षेत्रों के उन सभी परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार प्रदान करके उनकी आजीविका की स्थिरता को बढ़ावा देना, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों।
- **क्रियान्वयन :** यह माँग-आधारित एवं अधिकार-आधारित कार्यक्रम है, जिसका क्रियान्वयन मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है।
- **भत्ते :** काम की माँग करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है।
 - कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुल श्रमिकों में कम-से-कम एक-तिहाई (33%) महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

स्रोत: HT

आईपीओ का ग्रे मार्केट

समाचारों में

- भारत में प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमों (IPOs) के माध्यम से धन एकत्रित करने वाली कंपनियों की संख्या में वृद्धि के बीच आईपीओ का अनौपचारिक ग्रे मार्केट तीव्रता से लोकप्रिय हो रहा है।

- लघु निवेशक कल्याण संघ (SIREN) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से कथित अवैध कारोबार, बाजार में हेरफेर और बढ़े हुए ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के विरुद्ध हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।

आईपीओ क्या है?

- प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से कोई असूचीबद्ध कंपनी प्रथम बार आम जनता को अपने शेयर जारी करती है और किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है।
- यह प्राथमिक बाजार की एक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से कंपनियाँ पूँजी एकत्रित करती हैं तथा निवेशकों को कंपनी में स्वामित्व प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं।

आईपीओ के प्रकार

- **नया निर्गम :** कंपनी नए शेयर जारी करती है और उनसे प्राप्त धनराशि का उपयोग व्यावसायिक विस्तार, पूँजीगत व्यय, ऋण चुकाने अथवा अनुसंधान एवं विकास के लिए करती है।
- **बिक्री हेतु प्रस्ताव :** इसमें वर्तमान शेयरधारक, जैसे प्रवर्तक या निजी इक्विटी निवेशक, अपने शेयर आम जनता को बेचते हैं। इससे प्राप्त धनराशि कंपनी के बजाय शेयर बेचने वाले शेयरधारकों को मिलती है।

आईपीओ के उद्देश्य

- दीर्घकालिक इक्विटी पूँजी एकत्रण।
- व्यावसायिक विस्तार और पूँजीगत व्यय का वित्तपोषण करना।
- ऋण चुकाना तथा कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार करना।
- संस्थापकों, प्रवर्तकों और शुरुआती निवेशकों को अपनी हिस्सेदारी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करना।

आईपीओ निवेशकों की श्रेणियाँ

- **QIBs (योग्य संस्थागत खरीदार):** इनमें म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ और पात्र वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं।
- **NIIs (गैर-संस्थागत निवेशक):** इनमें उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्ति शामिल होते हैं।
- **खुदरा व्यक्तिगत निवेशक:** ऐसे निवेशक, जो निर्धारित खुदरा निवेश सीमा के अंदर आवेदन करते हैं।

आईपीओ ग्रे मार्केट क्या है?

- आईपीओ ग्रे मार्केट एक अनौपचारिक और अनियमित बाजार है, जहाँ ऐसी कंपनियों के शेयरों का कारोबार किया जाता है, जो अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हुई हैं। यह कारोबार मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के बाहर होता है।
 - इसमें लेन-देन अनौपचारिक नेटवर्क, दलालों और निजी समझौतों के माध्यम से किया जाता है।
 - इस प्रकार के कारोबार में आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंज की व्यवस्था का उपयोग नहीं किया जाता है।
 - **ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP):** यह वह अनौपचारिक अतिरिक्त कीमत है, जिस पर किसी आईपीओ के शेयरों का स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से पहले कारोबार किया जाता है।
 - निवेशक अक्सर GMP का उपयोग आईपीओ के संभावित लिस्टिंग मूल्य का अनुमान लगाने के लिए करते हैं।

ग्रे मार्केट कैसे कार्य करता है?

- मान लीजिए कि कोई कंपनी प्रति शेयर ₹1,000 के निर्गम मूल्य पर आईपीओ जारी करती है।
 - ग्रे मार्केट में उस शेयर का कारोबार ₹300 के प्रीमियम पर होता है।
 - इस प्रकार, शेयर का अनौपचारिक अनुमानित लिस्टिंग मूल्य ₹1,300 हो जाता है।
 - यदि शेयर ₹1,400 पर सूचीबद्ध होता है, तो खरीदार को ₹100 का लाभ होता है।
 - यदि शेयर ₹1,200 पर सूचीबद्ध होता है, तो खरीदार को ₹100 की हानि होती है।

ग्रे मार्केट का विस्तार क्यों हो रहा है?

- **आईपीओ में तीव्रता:** सार्वजनिक निर्गमों की बढ़ती संख्या सट्टा गतिविधियों को आकर्षित करती है।
- **लिस्टिंग लाभ की अपेक्षा :** निवेशक आईपीओ के माध्यम से शीघ्र लाभ कमाने की अपेक्षा रखते हैं।
- **सूचना विषमता :** खुदरा निवेशक माँग का आकलन करने के लिए अनौपचारिक GMP आँकड़ों पर निर्भर रहते हैं।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म :** व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सार्वजनिक ट्रैकिंग पोर्टल अनौपचारिक प्रीमियम संबंधी सूचनाओं के प्रसार को आसान बनाते हैं।
- **नियामकीय कमियाँ :** मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के बाहर होने वाले लेन-देन की निगरानी करना कठिन होता है।

- **बाजार में अत्यधिक उत्साह :** उच्च GMP से शेयरों के मजबूत लिस्टिंग प्रदर्शन को लेकर निवेशकों की अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं।

प्रमुख चिंताएँ

- **भ्रामक माँग संकेत :** सार्वजनिक किए गए GMP को प्रायः आईपीओ की सुदृढ़ अभिदान स्थिति का प्रमाण मान लिया जाता है, जबकि ये आँकड़े सत्यापित खरीद आदेशों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। खुदरा निवेशक प्रचार और उत्साह को कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति समझ लेते हैं तथा मूल्यांकन, वित्तीय विवरणों एवं व्यावसायिक जोखिमों की जाँच नहीं करते हैं।
- **बाजार में हेरफेर :** कृत्रिम रूप से प्रीमियम बढ़ाकर बाजार में अनावश्यक उत्साह और माँग का वातावरण बनाया जा सकता है।
- **खुदरा निवेशकों की असुरक्षा :** शीघ्र लाभ कमाने का आकर्षण अनुभवहीन निवेशकों को ऋण लेने या अपनी बचत निवेश करने के लिए प्रेरित करता है।
 - उदाहरण के लिए, रिलायंस पावर के आईपीओ में सूचीबद्ध होने से पहले भारी प्रीमियम के बावजूद, सूचीबद्धता के समय शेयर की कीमत ₹450 के निर्गम मूल्य से लगभग ₹100 नीचे गिर गई थी।
- **वित्तीय स्थिरता और बाजार की निष्पक्षता :** सट्टा गतिविधियाँ प्राथमिक बाजार में निवेशकों के विश्वास को कमजोर कर सकती हैं। इससे उचित मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है तथा बाजार में निष्पक्ष भागीदारी बाधित हो सकती है।

आगे की राह

- **कानूनी स्थिति स्पष्ट करना :** SEBI को एक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए, जिसमें अनुमेय गतिविधियों और दंडनीय उल्लंघनों के बीच अंतर स्पष्ट किया जाए।
- **अंतर-एजेंसी समन्वय :** SEBI, राज्य पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) को सूचनाओं का आदान-प्रदान करना चाहिए तथा समन्वित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए।
- **प्लेटफॉर्म की जवाबदेही :** GMP प्रकाशित करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों के लिए परामर्श तथा आपत्तिजनक सामग्री हटाने संबंधी मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए।
- **निवेशक जागरूकता :** SEBI और स्टॉक एक्सचेंजों को निवेशकों के लिए जागरूकता संबंधी परामर्श जारी करना चाहिए, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि GMP एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है और आईपीओ में सूचीबद्धता से लाभ की कोई गारंटी नहीं होती है।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

सरकार का पूँजीगत व्यय में वृद्धि पर बल

संदर्भ

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने सतत सार्वजनिक पूँजीगत व्यय के माध्यम से आर्थिक विकास को समर्थन देने तथा साथ ही राजकोषीय विवेक बनाए रखने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

पूँजीगत व्यय के बारे में

- पूँजीगत व्यय (Capex) से तात्पर्य सरकार द्वारा दीर्घकालिक भौतिक परिसंपत्तियों और अवसंरचना के निर्माण, अधिग्रहण अथवा सुधार पर किए जाने वाले व्यय से है, जो समय के साथ आर्थिक लाभ उत्पन्न करते हैं।
- **प्रमुख विशेषताएँ :**
 - **परिसंपत्ति निर्माण :** इससे सतत परिसंपत्तियों का निर्माण होता है।
 - **दीर्घकालिक लाभ :** यह आर्थिक विकास को समर्थन देता है तथा उत्पादक क्षमता में सुधार करता है।
 - **गुणक प्रभाव :** इससे रोजगार सृजन, माँग में वृद्धि और निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।
 - **राजस्व सृजन :** कुछ पूँजीगत परिसंपत्तियाँ भविष्य में सरकार के लिए आय उत्पन्न करती हैं।

स्रोत: TH

वधावन बंदरगाह

संदर्भ

- ₹76,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना को पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण स्थानीय समुदायों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

परिचय

- वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू के निकट विकसित किया जा रहा एक सर्व-मौसम , ग्रीनफील्ड और गहरे जल वाला प्रमुख बंदरगाह है।
- इसका विकास वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (JNPA) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (MMB) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसमें दोनों की हिस्सेदारी क्रमशः 74% और 26% है।
 - यह लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पर आधारित होगा। इस मॉडल के अंतर्गत बंदरगाह प्राधिकरण स्वामित्व और नियामकीय जिम्मेदारियाँ अपने पास रखता है, जबकि निजी कंपनियाँ टर्मिनल संचालन का कार्य करती हैं।

- इस स्थल पर समुद्र तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर प्राकृतिक रूप से लगभग 20 मीटर गहराई उपलब्ध है, जो बड़े आकार के जहाजों के आवागमन के लिए उपयुक्त है।
- इस परियोजना में समुद्र से लगभग 1,448 हेक्टेयर भूमि का पुनर्भरण तथा 10.14 किलोमीटर लंबे अपतटीय तरंगरोध का निर्माण शामिल है। इससे समुद्री जैव विविधता, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और पारंपरिक मत्स्य आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंकाएँ उत्पन्न हुई हैं।

रणनीतिक महत्त्व

- परिचालन शुरू होने के बाद इस बंदरगाह से भारत के निर्यात-आयात (EXIM) व्यापार को सुदृढ़ता मिलने, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार गलियारों से संपर्क बेहतर होने तथा विदेशी ट्रांसशिपमेंट केंद्रों पर निर्भरता कम होने की अपेक्षा है।

स्रोत: HT

डीपफेक की पहचान के लिए नई तकनीक

समाचारों में

- कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स (UCLA) के शोधकर्ताओं ने वीडियो में प्रकाश के पैटर्न का विश्लेषण करके जाली जानकारी की पहचान करने वाली एक नई डीपफेक पहचान तकनीक विकसित की है।

डीपफेक

- डीपफेक डिजिटल मीडिया के ऐसे रूप हैं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके वीडियो, ऑडियो और तस्वीरों को संपादित एवं परिवर्तित किया जाता है।
 - मूल रूप से, यह अत्यधिक यथार्थवादी डिजिटल जालसाजी है।
- AI प्रौद्योगिकियों, क्लाउड कंप्यूटिंग और बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा की सहज उपलब्धता ने डीपफेक तैयार करना पहले की तुलना में अधिक सुलभ बना दिया है।

प्रभाव

- डीपफेक के शिक्षा, सुगम्यता, फिल्म निर्माण, फोरेंसिक जाँच और कलात्मक अभिव्यक्ति जैसे क्षेत्रों में अनेक लाभ हैं।
- हालाँकि, इनका दुरुपयोग किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने, धोखाधड़ी करने, साक्ष्यों को जाली बनाने, भ्रामक सूचनाएँ फैलाने तथा बड़े पैमाने पर जनविश्वास और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए भी किया जा सकता है।

डीपफेक पहचान की नई विधि

- इस हाइब्रिड ऑप्टिकल-इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली ने 99.86% सटीकता के साथ फर्जी वीडियो तथा 95.72% सटीकता के साथ वास्तविक वीडियो की पहचान की।
 - पारंपरिक AI-आधारित पहचान प्रणालियों को अधिक कंप्यूटिंग संसाधनों की आवश्यकता होती है तथा कम्प्रेशन या धुंधलापन उत्पन्न करके उन्हें भ्रमित किया जा सकता है।
- यह प्रणाली गूगल के Veo 3 मॉडल से बनाए गए वीडियो की भी 94.8% सटीकता के साथ पहचान कर सकती है। साथ ही, यह पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करती है।
- यह तकनीक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बड़ी मात्रा में वीडियो का विश्लेषण करने, समस्याग्रस्त सामग्री की पहचान करने तथा डीपफेक की पहचान से जुड़े कार्यभार को कम करने में सहायता कर सकती है।

स्रोत: TH

हरित पटाखे

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश के माध्यम से दिवाली के अवसर पर दिल्ली-NCR में कुछ सख्त शर्तों के अधीन हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है।

हरित पटाखे क्या हैं?

- हरित पटाखों को पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम उत्सर्जन करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। हालाँकि, ये पूर्णतः प्रदूषण-मुक्त नहीं हैं।
- इन्हें वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR-NEERI) द्वारा विकसित किया गया है। इनमें कणीय पदार्थों और कुछ गैसीय उत्सर्जनों को कम करने के लिए संशोधित रासायनिक संरचनाओं तथा योजकों का उपयोग किया जाता है।
- इन बदलावों में पटाखों के आवरण का आकार कम करना, राख उत्पन्न करने वाली सामग्रियों को हटाना, पारंपरिक रसायनों के उपयोग को न्यूनतम करना तथा जियोलाइट्स और आयरन ऑक्साइड जैसे पदार्थों को शामिल करना शामिल हो सकता है।
- पारंपरिक पटाखों की समान श्रेणी की तुलना में इन्हें उत्सर्जन में कमी के निम्नलिखित दो मानदंडों में से किसी एक को पूरा करना आवश्यक है:
 - कणीय पदार्थों के उत्सर्जन में कम-से-कम 30% की कमी; अथवा

- कणीय पदार्थों के उत्सर्जन में कम-से-कम 20% और गैसीय उत्सर्जन में 10% की कमी।
- इसका उद्देश्य आतिशबाजी के दृश्य और ध्वनि प्रभावों को बनाए रखते हुए उनसे उत्पन्न प्रदूषण को कम करना है।

क्या आप जानते हैं?

- वर्ष 2023 के एक अध्ययन में परीक्षण किए गए विशिष्ट हरित पटाखों से कणीय पदार्थों और बेरियम के उत्सर्जन में 30–60% तक की कमी पाई गई। हालाँकि, यह कमी अलग-अलग उत्पादों के अनुसार भिन्न थी।
- इनका समग्र प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितने पटाखे फोड़े जाते हैं, उत्पादों की गुणवत्ता कैसी है और नियमों का प्रवर्तन कितनी प्रभावी ढंग से किया जाता है।
- हरित पटाखों का उपयोग भी श्वसन संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है, विशेषकर बच्चों, वृद्धजनों और पहले से श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों में।

स्रोत: HT

■■■

NEXT IAS हिन्दी